देवारण्य

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के लिये आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना

प्रस्तावना

- आयुष आधारित देवारण्य योजना की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15.08.2021 को घोषणा की है।
- आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और आजीविका को मजबूत करने के लिए आयुष क्षेत्र में संभावनाओं का लाभ लिया जाना है।
- कोविद माहमारी के कारण औषधीय पौधों की मांग में वृद्धि हुई है
- योजना का प्रमुख उद्देश्य, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों का औषधीय तथा सुगन्धित पौधों की कृषि, औषधीय उत्पादों के संग्रहण तथा उनके प्राथमिक प्रसंस्करण द्वारा उनका आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित करना है।

योजना के उद्देश्य

- औषधीय पौधों के विकास के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के किसानों के जीवन में सुधार लाना।
- औषधीय पौधों संबंधित विभिन्न केंद्रीय और राज्य वित्त पोषित योजनाओं का अभिसरण।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, उत्पादन, संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवम विपणन हेतु जनजातीय क्षेत्रों के किसानों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs, JFMCs, गैर सरकारी संगठनों, CSOs, सहकारी समितियों आदि) का चयन।
- उपयुक्त कृषि-जलवायु क्षेत्र एवम् औषधीय पौधों की पहचान ।
- विभिन्न विभागिय योजनाओं अंतर्गत औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना।

योजना के उद्देश्य

- औषधीय पौधों का उपयुक्त इन-सीटू संरक्षण / एक्स-सीटू उत्पादन / संग्रहण / प्राथमिक प्रसंस्करण / विपणन की नवीन एवम स्टैंडर्डाइज़्ड मेथड्स में स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षित और समर्थ बनाना।
- पंजीकृत किसानों के उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणीकरण की सुविधा, जिससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके। (ई चरक)
- विभिन्न आयुष दवा कंपनियों और किसानों के साथ बायबैक गारंटी समझौते के माध्यम से औषधीय पौधों की खरीद की सुविधा।
- प्रसंस्कृत उत्पादों को विपणन हेतु स्थानीय बाजार, लघु वनोपज प्रससंकरण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा पठानी, भोपाल, ट्राईब्स इंडिया के आउट लेटस तथा ई-- मार्केटिंग के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से जोडना

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित (09.08.21)
राज्य साधिकार समिति (State Empowered Committee)

क्र0	नाम/ पदनाम	पद
1.	**मुख्य सचिव, म.प्र. शासन**	**अध्यक्ष**
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य नीति एवं योजना आयोग	सदस्य सचिव (समन्वयक)
13.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन आयुष विभाग	सदस्य सचिव (सह– समन्वयक)
14.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री/अन्य औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	देश के प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों/वैवारिक संस्थानों के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य

राज्य साधिकार समिति के कार्यकलाप

- राज्य में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिये आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना "देवारण्य" के कियान्वयन हेतु रोडमैप का निधारिण करना।
- अभिसरण आधारित कार्ययोजना निर्मित करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना ।
- केन्द्र सेक्टर, केन्द्र प्रवर्तित, राज्य बजट की योजनाओं अथवा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आयुष सेक्टर के विकास के लिए समुचित उपयोग हेतु कार्योजना तैयार करना।
- योजना के सफल कियान्वयन ऐतु बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सुनिश्तित करने के लिए नीति क्षेत्र यथा उद्यमी, उद्योग संस्थान, सामाजिक संस्थान आदि की सहभागिता हेतु प्रयास करना।
- "देवारण्य" योजना के सफल कियान्वयन हेतु समस्त विकल्पों /संभावनाओं का प्रशिक्षण कर नीति निर्धारण करना।
- "देवारण्य" योजना की समय-समय पर समीक्षा करना।

समिति की बैठक वर्ष गें 02 बार आयोजित की जावेगी। म.प्र, राज्य नीति एवं योजना आयोग समिति में समन्वयक की भूमिका निभायेगा तथा आयुष विभाग इस योजना का प्रशासकीय विभाग एवं सह-समन्वयक होगा।

आज दिनांक तक संपन्न बैठक

- 17.08.21 (परिचयात्मक)
- 27.08.21 (नोडल विभाग का निर्धारण)
- 14.09.21 (विभागवार "विभागीय देवारण्य योजना" के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देश)

योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु, मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिए गए :

1) उद्यानिकी विभाग, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जन जातीय कार्य विभाग अपने विभाग अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा कर, ऐसी योजनाओं का चयन करें जिनसे देवारण्य योजना अंतर्गत उनका क्रियान्वयन किया जा सके।

2) उक्त सभी विभाग 10 दिवस के भीतर, अपने स्तर पर कार्योजना तैयार कर प्रस्तुतीकरण करें।

3) राज्य नीति एवम योजना आयोग समन्वयक की भूमिका में कार्य करेगा।

4) आयुष विभाग अंतर्गत स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड (SMPB) के गठन के पश्चात सम्पूर्ण कार्य, एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु कंसलटेंट सहित, राज्य नीति एवम योजना आयोग द्वारा आयुष विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा।

विभिन्न विभागों द्वारा देवारण्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित “प्रमुख घटक”

उद्यानिकी

1. औषधीय फसल विस्तार योजना में विपणनयोग्य फसलो को प्रोत्साहित करना
2. औषधीय पौध शाला की स्थापना
3. कृषको को प्रशिक्षण
4. अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. मनरेगा परिषद से औषधीय पौधों की खेती के कार्यों (रोपण एवम नर्सरी विकास) का भुगतान
2. डीपीआर, टीएस तथा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।
3. प्रशिक्षण
4. पात्र हितग्राही के खेत में गड्डा खुदाई, पौध रोपण, निदाई, गुडाई, खाद एवं उर्वरक मिलाना तथा पौधों की देख-रेख आदि कार्य संपन्न कराना।

वन विभाग

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज का विपणन एवं मूल्य श्रृंखला विकास
2. कौशल उन्नयन हेतु वन धन विकास योजना
3. वन विकास मद योजना से वनोपज का रोपण/प्रबंधन
4. प्रशिक्षण :- वन धन केन्द्र कलस्टर
5. मार्केट लिकेंज

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

- चयनित औषधीय फसलो की मांग के अनुसार क्षेत्र विस्तार
- नर्सरी की स्थापना
- मांग अनुसार स्थानीय प्रजातियो के साथ-साथ उन्नत प्रजातियो के पौध सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।
- औषधीय फसलो का ज्ञान, उच्च तकनीकि ज्ञान विशेषज्ञो द्वारा
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वरा अध्ययन।
- संग्रहण एवं इंक्यूवेशन सेन्टर में आधुनिक उपकरण स्थापित किये जाकर हितग्राहियों को प्रशिक्षण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

उपरोक्त उल्लेखित तकनीकी मानव संसाधन एवं विशेषज्ञ सेवाएं उल्लेखित विभागों/संस्था की ओर से उपलब्ध होने पर निम्नानुसार कार्य विभाग एवं मनरेगा से किये जा सकेंगे :

1. डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति
2. टीएस तथा प्रशिक्षण
3. खेत में कार्य संपन्न कराना।
4. कार्यों का भुगतान
5. वर्कशेड का निर्माण

वन विभाग

1. “न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज का विपणन एवं मूल्य श्रृंखला विकास योजना” अन्तर्गत 32 लघुवनोपज प्रजातियों घोषित (75:25 GoI: MP लघुवन उपज संघ)
2. कौशल उन्नयन हेतु वन धन विकास योजना
3. वन विकास मद योजना अंतर्गत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ 15 % (वन विकास निधि) के माध्यम से वनोपज का रोपण/प्रबंधन
4. वन धन केन्द्र कलस्टर अन्तर्गत स्व सहायता समूह के चयनित हितग्राहियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण
5. ई-- मार्केटिंग के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से जोड़े जाने की योजना

बजट

उद्यानिकी

राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन अंतर्गत वर्ष 2021-22 बजट अनुमान में राशि रूपये 1094.05 लाख का प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. अकुशल मजदूरी का भुगतान NeFMs प्रणाली से
2. सामग्री मद का भुगतान PFMS प्रणाली से

वन विभाग

1. "न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज का विपणन एवं मूल्य श्रृंखला विकास" योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना ।
2. प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ट्राईफेड द्वारा वित्त पोषित योजना।
3. राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत (वन विकास निथी) अन्तर्गत म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा वित्त पोषित योजना |

विभिन्न विभागों द्वारा तैयार “प्रस्तुतीकरण”

उद्यानिकी

क्रं	घटक	विभाग द्वारा कार्यवाही	योजनांन्तर्गत प्रावधान
1.	औषधीय फसल विस्तार योजना में विपणनयोग्य फसलो को प्रोत्साहित करना	अश्वगंधा, कालमेघ तुलसी सफेद मूसली, सतावर, एलोवेरा, ईसवगोल, आदि औषधीय फसलो को भूमि, जलवायु एवं बाजार की मांग के अनुसार क्षेत्र विस्तार	प्रति हेक्टेयर फसल लागत का 30 प्रतिशत अनुदान
2	औषधीय पौध शाला की स्थापना	स्थानीय प्रजातियो के साथ-साथ उन्नत प्रजातियो के पौध सामग्री तैयार कर किसानो को मांग अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।	एक हेक्टेयर स्थापना हेतु राशि रूपये 6.25 लाख का प्रावधान है।
3	कृषको को प्रशिक्षण	औषधीय फसलो का ज्ञान, पहचान, उपयोगिता, उन्नत खेती, भण्डारण, बाजार व्यवस्था एवं प्रसंस्करण के संबंध में उच्च तकनीकि ज्ञान विशेषज्ञो के माध्यम से दिया जायेगा।	प्रति प्रशिक्षण 1.00 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा।
4.	अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	**अ. जवाहरला**ल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से सतपुड़ा तथा विध्य क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित फसलों के संग्रहण एवं प्रगुणन पर विभिन्न तापमान एवं आद्रता नियंत्रण से बढ़वार एवं उपज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ब. मॉडल रोपणी कान्हासैया जिला भोपाल एवं अमरकंटक जिला अनुपपुर में औषधीय एवं सुगन्धित फसलो के उच्च गुणवत्ता के पौध सामग्री का प्रगुणन पॉलीहाउस, नेटहाउस स्थापित किया जाऐगा। संग्रहण एवं इंक्यूवेशन सेन्टर में आधुनिक उपकरण स्थापित किये जाकर हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	इस पर होने वाला व्यय मंडी बोर्ड की निधि से किया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

- मनरेगा से निम्नानुसार कार्य किए जा सकते है :-
  - संस्था द्वारा उपब्रब्ध कराए गए डीपीआर की स्वीकृति देना तथा कार्य को मनरेगा के वार्षिक कार्य योजना एवं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित करना तथा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना।
  - टीएस जारी करना तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
  - पात्र हितग्राही के खेत में गड़डा खुदाई, पौँध रोपण, निदाई, गुडाई, खाद एवं उर्वरक मित्राना तथा पौधों की देख-रेख आदि कार्य संपन्न कराना।
  - मनरेगा परिषद से औषधीय पौधों की खेती के कार्यों का भुगतान किया जाना।
  - औषधीय खेती प्रसंस्करण हेतु वर्कशेड का निर्माण करना।
- बजट - मनरेगा केन्द्र प्रवर्तित योजना है, पृथक से बजट की मांग की आवश्यकता नहीं।

वन विभाग

क्रं	योजना	विभाग द्वारा कार्यवाही	योजनांन्तर्गत प्रावधान
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना “न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज का विपणन एवं मूल्य श्रृंखला विकास" न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर विपणन कार्य किया जा रहा है।	75 % राशि भारत शासन द्वारा तथा शेष 25 % राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है।
		5 जिलों की 16 चयनित प्रजातियों के कुल 45808 क्विंटल वनोपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर संग्राहको को उचित मूल्य उपलब्ध कराया जायेगा	प्रति हेक्टेयर फसल लागत का 30 % अनुदान
		अपनी दुकान के नाम से 21 खरीदी केंद्र निर्मित एवम् 5 खरीदी केंद्र प्रस्तावित एवं भण्डारण हेतु 3 गोदाम निर्मित एवम् 19 गोदाम प्रस्तावित	
2	प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना	कौशल उन्नयन हेतु ट्राईफेड, द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना प्रदेश में संचालित है। प्रत्येक वन धन केन्द्र कलस्टर में 15 स्व सहायता समूह है तथा प्रत्येक स्व सहायता समूह में 20 हितग्राही शामिल रहेगें।	इस प्रकार कुल 300 हितग्राही वन धन केन्द्र कलस्टर में होगे। इन केन्द्रों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वनोपज / कृषि उपज / उद्यानिकी उपज का प्रथामिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन आदि कार्य स्वय हितग्राहियों द्वारा किया जाएगा।
		5 जिलों में 32 कलस्टर में 480 समूह द्वारा 9600 हितग्राहियों को सहयोग प्रदान हो रहा है	

वन विभाग

क्रं	योजना	विभाग द्वारा कार्यवाही	योजनांन्तर्गत प्रावधान
3	वन विकास मद की योजनाएं	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ का 15 % (वन विकास निधी) अन्तर्गत नैसर्गिक वनों के स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लघु वनोपजों का रोपण, प्रबंधन किया जाता है। 5 जिलों के 380 हेक्ट में 237500 पौधों के रोपण का लक्ष्य	इसके माध्यम से लघु वनोपज की उपलब्धता में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को आय के साधन उपलब्ध होते है तथा वनोपजों के प्रसंस्करण एवं मूल्य सवर्धन के माध्यम से वर्ष भर रोजगार प्राप्त होते है।
4	प्रशिक्षण	वन धन केन्द्र कलस्टर अन्तर्गत स्व सहायता समूह के चयनित हितग्राहियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रथम चरण में प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विषणन आदि पर दो दिवसीय प्रशिक्षण लघु वनोपज प्रससंकरण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा प्रठानी, भोपाल द्वारा कराया गया है।	द्वितीय चरण में ट्राईफेड, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त AISECT संस्थान द्वारा प्रत्येक वन धन केन्द्र के 25 हितग्राहियों को 6 राप्ताह की प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत डिंडौरी में प्रशिक्षण जारी है।
5	मार्केट लिकेंज	प्रसंस्कृत उत्पादों को विपणन हेतु स्थानीय बाजार, लघु वनोपज प्रससंकरण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेडा पठानी, भोपाल, ट्राईब्स इंडिया के आउट लेटस तथा ई-मार्कटिंग के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है।	

देवारण्य योजना

प्रस्तावित कार्य योजना

प्रथम चरण नवंबर/ दिसंबर माह'21	वन विभाग द्वारा	बैतूल, डिंडोरी, होशंगाबाद, झाबुआ, सतना में	वन विभाग द्वारा संचालित 5 योजनाओं को देवारण्य योजना अंतर्गत समाहित कर नवंबर/ दिसंबर माह में देवारण्य योजना का शुभारंभ
द्वितीय चरण फरवरी / मार्च माह'22	उद्यानिकी एवम PRD द्वारा	समस्त जनजातीय जिलों में	मनरेगा परिषद अंतर्गत कृषि कार्य (जैसे रोपण, नर्सरी विकास) डीपीआर, टीएस तथा प्रशिक्षण
तृतीय चरण जून माह'22	उद्यानिकी, वन विभाग एवम आयुष (SMPB) द्वारा		सर्वे एवम् मार्केट रिसर्च ; सप्लाई चैन मैनेजमेंट /IT प्लेटफॉर्म; सब्सिडी / अनुदान;
Way forward	उद्यानिकी, वन विभाग एवम आयुष (SMPB) द्वारा		Insurance, Certification, Market Linkage, Buy Back Guarantee MoUs with Medicine Manufacturers

धन्यवाद